

जिला अवर निबंधक का कार्यालय प0 सिंहभूम, चाईबासा

पत्रांक 131 / चाईबासा, दिनांक 27/04/2017

प्रेषक,

जिला अवर निबंधक
प0 सिंहभूम, चाईबासा।

सेवा में,

जिला खनन पदाधिकारी
चाईबासा।

विषय :- पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा - बराईबुरु^{टाटीबा} के रकवा 640.00 एकड़ क्षेत्र पर सर्वश्री दी रामेश्वर जूट मिल्स लि० के अनुपूरक पट्टा संविद के निबंधन हेतु मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क गणना के संबंध में।
प्रसंग :- भवदीय के पत्रांक -601/एम०, दिनांक 20.04.2017।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसांगिक विषय के संदर्भ में कहना है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा - बराईबुरु^{टाटीबा} के रकवा 640.00 एकड़ क्षेत्र पर सर्वश्री दी रामेश्वर जूट मिल्स लि० के अनुपूरक पट्टा संविद के निबंधन हेतु मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क आपके द्वारा उपलब्ध करायी गई वर्षवार वार्षिक स्वामित्व तालिका में दर्शायी गई राशि के अनुसार मुद्रांक शुल्क कुल 35089600.00 (तीन करोड़ पचास लाख नवासी हजार छः सौ रुपये) मात्र एवं निबंधन शुल्क 17863700.00 (एक करोड़ अठहत्तर लाख तिरसठ हजार सात सौ रुपये) मात्र भुगतये होगी। इसके अतिरिक्त सेवा प्रभार मद में प्रति पृष्ठ 30.00 (तीस रुपये) मात्र वसुलनीय होगी।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ अग्रसारित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

आपांक: 691 / एम० दिनांक: 28/04/2017

संविदित: सर्वश्री दी रामेश्वर जूट मिल्स लि० के अनुपूरक पट्टा संविद के निबंधन हेतु मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क गणना के संबंध में।

जिला अवर निबंधक
प0 सिंहभूम, चाईबासा

जिला खनन पदाधिकारी
चाईबासा।